न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 13/2022

प्रार्थी

श्री रिशित पुत्र श्री महेन्द्रजी दवे जाति ब्राह्मण निवासी झाडोली हाल भाईन्दर(वेस्ट) जिला थाणा महाराष्ट्र।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जीमित पुत्र श्री सूर्यकान्तजी दवे निवासी झाडौली हाल 76 महावीर कृपा थर्ड फ्लॉर महाराणा प्रताप रोड स्टेशन रोड भाईन्दर(वेस्ट) जिला थाणा महाराष्ट्र।
2. वैशाली पुत्री श्री सूर्यकान्तजी दवे निवासी झाडौली हाल 76 महावीर कृपा थर्ड फ्लॉर महाराणा प्रताप रोड स्टेशन रोड भाईन्दर(वेस्ट) जिला थाणा महाराष्ट्र।
3. सविता बेवा पत्नि श्री सूर्यकान्तजी दवे निवासी झाडौली हाल 76 महावीर कृपा थर्ड फ्लॉर महाराणा प्रताप रोड स्टेशन रोड भाईन्दर(वेस्ट) जिला थाणा महाराष्ट्र।
4. ग्राम पंचायत झाडौली जरिए सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 26.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या चार द्वारा अप्रार्थीगण के पिता एवं पति के हक में जारी पट्टा संख्या 6809 दिनांक 22.09.2008 क्षेत्रफल 479.25 वर्गफुट एवं अप्रार्थी संख्या तीन के हक में जारी पट्टा संख्या 6810 दिनांक 22.09.2008 क्षेत्रफल 960 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:42:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों [illegible] व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थीगण के पिता [illegible] श्री सूर्यकान्तजी दवे एवं अप्रार्थी संख्या तीन को नियमो के विपरित पट्टा संख्या क्रमशः 6809 एवं 6810 दिनांक 22.09.2008 क्षेत्रफल क्रमशः 479.25 वर्गफुट एवं 960 वर्गफुट के जारी किए गए है। [illegible] है कि प्रार्थी श्री महेन्द्र दवे का जायज पुत्र है एवं नादेश्वर दवे का पौत्र है। स्व. श्री नादेश्वरजी के चार पुत्र व दो पुत्रियां थी एवं स्व. श्री नादेश्वरजी दवे की ग्राम झाडौली में दो

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सम्पत्तियां थी, जिसमें प्रथम सम्पति एक रहवासी मकान एवं द्वितीय सम्पत्ति में ढुढा आया हुआ है। उक्त सम्पत्ति स्व. श्री नादेश्वरजी दवे की है तथा वादी का अपने दादा की सम्पत्ति में पूर्ण हक अधिकार है। यह है कि सम्पत्ति संख्या एक रहवासी मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या तीन के नाम एवं सम्पत्ति संख्या दो का पट्टा अप्रार्थीगण के पिता एवं पति श्री सूर्यकान्तजी दवे के नाम से जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी को सम्पत्ति में हिस्सा नहीं देना पडे, इस हेतु अप्रार्थीगण के पिता एवं पति श्री सूर्यकान्तजी दवे व प्रार्थी की पिता व उनके अन्य भाईयों ने मिलकर पुश्तैनी सम्पत्ति का पट्टा सूर्यकान्तजी व सविता बेन के नाम से बनाया गया है। यह है कि उक्त पट्टेशुदा सम्पत्ति पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसके पट्टे ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी के पिता एवं पति श्री सूर्यकान्तजी एवं अप्रार्थी संख्या तीन के नाम से गलत रूप से जारी किए है, जबकि प्रार्थी के दादा की सम्पत्ति में प्रार्थी का 1/12 वां हिस्सा है, जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी है एवं प्रार्थी ने बंटवाड का वाद अलग से अपर जिला न्यायालय आबूरोड में पेश किया है। यह है कि वादग्रस्त सम्पत्ति में प्रार्थी अपना हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होते हुए भी उक्त सम्पत्ति को खुर्द बुर्द कर प्रार्थी को अपना हिस्सा नहीं देना चाहते है, क्योंकि प्रार्थी के पिता श्री महेन्द्रजी दवे ने प्रार्थी व उसकी माता को घर से बेदखल कर दिया है, जिससे प्रार्थी स्वयं मुम्बई में नौकरी करता है और वहीं कमरा लेकर निवासरत है। यह है कि उक्त पुश्तैनी मकान में निवासी का अधिकार छिनने के लिए उसके पट्टे गलत रूप से स्व. श्री सूर्यकान्तजी व उनकी पत्नि श्रीमती सविता के नाम से बनाए गए है, जबकि अप्रार्थी संख्या तीन का स्व. श्री नादेश्वर की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार नहीं था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थीगण के पिता एवं पति के हक में जारी पट्टा संख्या 6809 दिनांक 22.09.2008 क्षेत्रफल 479.25 वर्गफुट एवं अप्रार्थी संख्या तीन के हक में जारी पट्टा संख्या 6810 दिनांक 22.09.2008 क्षेत्रफल 960 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक से चार की ओर से बावजूद नोटिस तामिली की किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अप्रार्थी संख्या एक से चार को पूर्व में जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया एवं अप्रार्थी संख्या एक से चार बहस हेतु नियत तारीख पेशी पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थीगण के पिता एवं पति श्री सूर्यकान्तजी दवे एवं अप्रार्थी संख्या तीन को उक्त पट्टे ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत क्रमशः पट्टा संख्या 6809 दिनांक 22.09.2008 क्षेत्रफल 479.25 वर्गफुट एवं पट्टा संख्या 6810 दिनांक 22.09.2008 क्षेत्रफल 960 वर्गफुट जारी किए गए है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा ज[illegible] निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा [illegible]री किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के [illegible] अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 [illegible] करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, [illegible]ास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:42:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उफ्लब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा उक्त विवादित पट्टे अप्रार्थीगण के पिता एवं पति श्री सूर्यकान्तजी दवे एवं अप्रार्थी संख्या तीन के हक में नियम 157(1) के तहत जारी किए गए है। यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत झाडौली में उक्त विवादित भूखण्डों का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया, तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण समिति का गठन किया गया, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए, जबकि प्रावधानानुसार तीन सदस्य ही होते है। उक्त मौका निरीक्षण किस दिनांक को किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया है और ना ही कोई तिथि एवं समय का अंकन कहीं पर भी किया गया है। ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा दिनांक 05.09.2008 को एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किए जाने का निर्णय लिया गया, परन्तु उक्त आपत्ति इश्तिहार नोटिस किस दिनांक को एवं किस पत्रांक के द्वारा जारी किया गया है एवं किस–किस सदृश्य स्थलों पर चस्पा किया गया है, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई विवरण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही नक्शा परिशिष्ठ पर नक्शा बनाने वाले (सचिव) के हस्ताक्षर है। अतः बिना हस्ताक्षरे के किसी भी दस्तावेज को वैध नहीं माना जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा उक्त विवादित पट्टों को जारी करने से पूर्व साक्ष्य गवाहों के बयान लेने का निर्णय ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.09.2008 को लिया गया, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार साक्ष्य गवाहों के बयान दिनांक 09.04.2009 एवं 14.04.2009 को लिए गए, जबकि पट्टे जारी करने का निर्णय दिनांक 22.09.2008 को ही लिया जा चुका था। अतः उक्त विवादित पट्टे दिनांक 22.09.2008 को जारी होने के बाद गवाहों के बयान लेना, पट्टे जारी करने की कार्यवाही पर संदेह पैदा करता है एवं न ही इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक से चार ने किसी भी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित पट्टे पुश्तैनी भूखण्डों के जारी किए गए है, जिन्हें जारी करने से पूर्व अन्य भाईयों की सहमति भी नहीं ली गई है एवं न ही पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है, जो यह साबित करता हो कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विवादित पट्टों को जारी करने से उक्त भूखण्डों के सम्बन्ध में अन्य भाईयों की सहमति ली गई हो।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाक़र ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थीगण के पिता एवं पति श्री सूर्यकान्तजी दवे के हक में जारी पट्टा संख्या 6809 दिनांक 22.09.2008 क्षेत्रफल 479.25 वर्गफुट एवं अप्रार्थी संख्या तीन के हक में जारी पट्टा संख्या 6810 दिनांक 22.09.2008 क्षेत्रफल 960 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है। साथ ही नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने के लिए तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी (ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव) के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत जाँच कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:42:32 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner